

State through Deepak Kumar Vs Ramanand Singh and others

Spl. SC/ST GR No. 69 of 2025

Morkahi PS Case No. 94 of 2025

CIS No. 125 of 2025)

जिला- खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह- विशेष
न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़ियाSpl. SC/ST GR No. 69 of 2025Morkahi PS Case No. 94 of 2025CIS No. 125 of 2025)

राज्य (द्वारा दीपक कुमार)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब न म

1. रामानंद सिंह,
पिता-गोविन्द सिंह
2. विक्रम कुमार,
पिता-रामानंद सिंह
3. सोनू कुमार सिंह,
पिता-ज्ञानदेव सिंह
4. सौरभ कुमार उर्फ गौरव कुमार,
पिता-उमेश मंडल
5. सन्नी कुमार,
पिता-रामेश्वर मंडल उर्फ रामशरण मंडल
6. अमित कुमार
पिता-जीतो मंडल उर्फ जीतन मंडल
7. ललन कुमार,
पिता-संजय मंडल
8. कर्मवीर कुमार,
पिता-दुलारचंद पासवान
9. रवि कुमार,
पिता-अनिल सिंह
सभी साकिन माइर उत्तरी, थाना मोरकाही, जिला खगड़िया।
10. रंजीत महतों,
पिता-बटोरन महतों
साकिन माइर दक्षिणी, थाना मोरकाही, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण

आरोपित धाराएँ 126(2)/3(5), 127(2)/3(5), 115(2)/3(5) BNS,
U/s 3(1)(r), 3(2)(Va) SC/ST Actअभियोजन की ओर से - श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह
विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से - श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार-II**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 02री जून 2026



State through Deepak Kumar Vs Ramanand Singh and others
Spl. SC/ST GR No. 69 of 2025
Morkahi PS Case No. 94 of 2025
CIS No. 125 of 2025)

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त रामानंद सिंह, विक्रम कुमार, सोनू कुमार सिंह, सौरभ कुमार उर्फ गौरव कुमार, सन्नी कुमार, अमित कुमार, ललन कुमार, कर्मवीर कुमार, रवि कुमार, रंजीत महतो के विरुद्ध धारा 126(2)/3(5), 127(2)/3(5), 115(2)/3(5) BNS, U/s 3(1)(r), 3(2)(Va) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक दीपक कुमार के टंकिकत आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसका वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.06.2025 को रात्री 09.30 बजे मेरा छोटा भाई गुलशन कुमार एवं हिमांशु कुमार को विचाराधीन अभियुक्तगण चोरी का झूठा आरोप लगाकर रसौक बांध के तरफ ले गया। हम सभी परिवार अपने भाईयों का काफी खोजबीन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। दिनांक 29.06.2025 को समय 08.30 बजे सुबह में करीब मोबाईल के माध्यम से सूचना मिली कि गुलशन कुमार एवं हिमांशु कुमार बागमती नदी के किनारे बेहोशी की हालत में हैं। सूचना पर बागमती नदी के किनारे रसौक गया और अपने भाईयों को बेहोश पाया। उसके बाद विडियो से पता चला कि सभी अभियुक्तगण जान मारने की नीयत से मेरे भाई को मारपीट करते हुए बागमती नदी में डुबाकर मारने की नीयत से ले गया और अगल-बगल के लोगों को आते देखकर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया।

3. सूचक के द्वारा दिये गये फर्दब्यान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। तदनुरूप अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?



State through Deepak Kumar Vs Ramanand Singh and others
Spl. SC/ST GR No. 69 of 2025
Morkahi PS Case No. 94 of 2025
CIS No. 125 of 2025)

म न त ळ य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में तीन अभियोजन साक्षी यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01 गुलशन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 02 दीपक कुमार उर्फ अविनाश कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03 हिमांशु कुमार का साक्ष्य कराया गया है। इनमें से अभियोजन साक्षी संख्या 01 एवं 03 को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 01 एवं 03 जख्मी एवं पीड़ित साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 02 दीपक कुमार उर्फ अविनाश कुमार जो कि इस वाद के सूचक हैं, ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि घटना एक साल पहले की है। समय याद नहीं है। गुलशन कुमार रोजाना घर से खेलने के लिए निकलता था। तकरीबन दस बजे रात तक घर नहीं आया तो खोजा, लेकिन नहीं मिला। सुबह करीब 08.00 बजे गांव के लोगों से पता चला कि मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको हल्का-फुल्का चोट लगा। भाई मुझे बांध के किनारे मिला। इस साक्षी ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन नहीं किया है, जबकि दो पीड़ित भाई कमशः अभियोजन साक्षी संख्या 01 एवं 03 ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इस साक्षी का बयान विरोधाभासी हो जाता है। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त रामानंद सिंह, विक्रम कुमार, सोनू कुमार सिंह, सौरभ कुमार उर्फ गौरव कुमार, सन्नी कुमार, अमित कुमार, ललन कुमार, कर्मवीर कुमार, रवि कुमार, रंजीत महतो के विरुद्ध गठित धारा 126(2)/3(5), 127(2)/3(5), 115(2)/3(5) BNS, U/s 3(1)(r),



State through Deepak Kumar Vs Ramanand Singh and others

Spl. SC/ST GR No. 69 of 2025

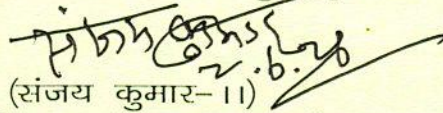
Morkahi PS Case No. 94 of 2025

CIS No. 125 of 2025)

3(2)(Va) SC/ST Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त रामानंद सिंह, विक्रम कुमार, सोनू कुमार सिंह, सौरभ कुमार उर्फ गौरव कुमार, सन्नी कुमार, अमित कुमार, ललन कुमार, कर्मवीर कुमार, रवि कुमार, रंजीत महतों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

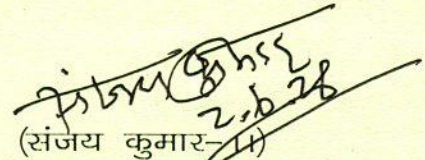
मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत


(संजय कुमार-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

02.06.2026




(संजय कुमार-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

02.06.2026

